

**बिहार सरकार  
कृषि विभाग।**

पत्र सं०:-4/कृ०शि०को०-34/2014- **477** /कृ०, पटना, दिनांक **01/02/2016**

**अधिसूचना**


बिहार कृषि विश्वविद्यालय अधिनियम 2010 की धारा 46(4) के आलोक में राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय के गैर शैक्षणिक कर्मियों से परस्पर आमेलन हेतु अभ्यावेदन पर विचारोपरांत निम्नवत विश्वविद्यालय आवंटित किया जाता है,

क्र०	नाम	पदनाम	विश्वविद्यालय जहाँ कर्मी वर्तमान में कार्यरत है।	आवंटित विश्वविद्यालय
1	श्री महेश प्रसाद राय	कनीय अनुसंधान सहायक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
2	श्री अनिल कुमार शर्मा	कनीय अनुसंधान सहायक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
3	श्री चन्द्रेश्वर प्रसाद राय	कनीय अनुसंधान सहायक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
4	श्री मनोहर प्रसाद सिंह	कनीय अनुसंधान सहायक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
5	श्री मनोज कुमार	कनीय अनुसंधान सहायक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
6	श्री राज कुमार	कनीय अनुसंधान सहायक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
7	श्री दिनेश्वर रजक	प्रशाखा पदाधिकारी/ सहायक नियंत्रक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
8	श्री नवल किशोर प्रसाद	सहायक कुलसचिव	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
9	श्री हरेन्द्र कुमार सिंह	क्षेत्र अधिदर्शक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
10	श्री धीरेन्द्र स्वरूप	क्षेत्र अधिदर्शक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
11	श्री अरुण कुमार झा	क्षेत्र अधिदर्शक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
12	श्री विरेन्द्र सिंह	क्षेत्र अधिदर्शक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
13	श्री महेश प्रसाद कर्ण	क्षेत्र अधिदर्शक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
14	श्री सुधीर कुमार	लिपिक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
15	श्री नवनीत कुमार	लिपिक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
16	श्री राजेश कुमार शर्मा	प्रयोगशाला सहायक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
17	मो० सबरूल	चौकीदार	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा
18	श्री शम्भु साह	आदेशपाल/पदचर	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा

19	श्री लाल बहादुर राय	आदेशपाल/पदचर	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र विश्वविद्यालय, पूसा	कृषि
20	श्री सवालिया कुमार सिंह	चालक	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र विश्वविद्यालय, पूसा	कृषि
21	श्री राजदेव पासवान	सरदार	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र विश्वविद्यालय, पूसा	कृषि
22	श्री विपीन कुमार	कनीय अभियंता	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	राजेन्द्र विश्वविद्यालय, पूसा	कृषि
23	श्री मनोज कुमार सिंह	लिपिक	राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा	बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर	

2. उक्त के अतिरिक्त जो गैर शैक्षणिक कर्मी जिस कृषि विश्वविद्यालय में कार्य कर रहे हैं वे उसी कृषि विश्वविद्यालय की सेवा में बने रहेंगे।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,

  
(विजय प्रकाश),

प्रधान सचिव-सह-  
कृषि उत्पादन आयुक्त,  
बिहार, पटना।


ज्ञापांक:- 4/कृ०शि०को०-34/2014- 477 /कृ०, पटना, दिनांक 01/02/ 2016

प्रतिलिपि: कुलपति, राजेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, पूसा, समस्तीपुर एवं बिहार कृषि विश्वविद्यालय, सबौर, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

  
प्रधान सचिव-सह-  
कृषि उत्पादन आयुक्त,  
बिहार, पटना।


ज्ञापांक:-4/कृ०शि०को०-34/2014- 477 /कृ०, पटना, दिनांक 01/02/ 2016

प्रतिलिपि: माननीय मंत्री, कृषि के आप्त सचिव/कृषि उत्पादन आयुक्त के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के प्रधान आप्त सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित। आई.टी. मैनेजर, कृषि विभाग को सूचनार्थ एवं अनुरोध है कि अधिसूचना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किया जाय।

  
प्रधान सचिव-सह-  
कृषि उत्पादन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

ज्ञापांक:-4/कृ०शि०को०-34/2014- 477 /कृ०, पटना, दिनांक 01/02/ 2016

प्रतिलिपि: अधीक्षक, सरकारी प्रेस, गुलजारबाग, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, ई. गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार को संकल्प की प्रति सी.डी. सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित एवं बिहार गजट के अगले असाधारण अंक में अधिसूचना को प्रकाशित किया जाय।

  
प्रधान सचिव-सह-  
कृषि उत्पादन आयुक्त,  
बिहार, पटना।

